न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
50/2024	FSS ACT	26.04.2024	28.11.2025

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

1. रामनिवास अग्रवाल पुत्र श्री रामभरोसी लाल,उम्र 49 जाति वैश्य विक्रेता व मालिक मैसर्सः अग्रवाल डेली नीड्स सेंटर गायत्री मंदिर के पास, सैंपऊ रोड, धौलपुर, निवासी ग्राम राजा का नगला सैंपऊ,धौलपुर

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.11.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 22.01.2024 को दोपहर 02:00 बजे मैसर्सः– अग्रवाल डेली नीड्स सेन्टर गायत्री मंदिर के पास सैंपऊ रोड धौलपुर पर पहुंचा विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम रामनिवास अग्रवाल पुत्र श्री रामभरोसी लाल उम्र 49 जाति वैश्य विक्रेता व मालिक मैसर्सः अग्रवाल डेली नीड्स सेंटर गायत्री मंदिर के पास सैंपऊ रोड धौलपुर निवासी ग्राम राजा का नगला सैंपऊ धौलपुर बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र संख्या न होना जाहिर किया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर रखे जार में लगभग 10 किलोग्राम घी आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस घी में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त घी का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा। और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता के उक्त जार में से 800 ग्राम घी वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत रामनिवास अग्रवाल पुत्र रामभरोसी अग्रवाल को रू. 440/– (चार सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम घी को साफ एवं सूखी बोतले में भरकर नमूना भाग तैयार किया जिस पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 3061 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम , पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 3061 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई मे गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारो ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवे, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे मे लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढकर सुनाकर, समझाकर रामनिवास अग्रवाल पुत्र श्री रामभरोसी लाल के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/40 दिनांक 19.02.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/52/एक्ट/2024/76 दिनांक 01.02.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया घी सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति का पाया गया मूल जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जबाव में निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष में जिस फर्म मैसर्स अग्रवाल डेली नीडस सेन्टर गायत्री मन्दिर के पास सैंपऊ रोड धौलपुर का नमूना लेना बताया है। उक्त फर्म का मैसर्स अग्रवाल डेली नीडस सेन्टर गायत्री मन्दिर के पास सैंपऊ रोड धौलपुर का अभियोजन नहीं किया है अर्थात उसको अभियुक्त नहीं बनाया है। इस कारण प्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता। दिनांक 22.01.2024 को पदम सिंह परमार का खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद पर तैनात होना सावित नही। क्योकि पदम सिंह परमार का कहना है कि उसकी नियुक्ति F.S.O. पद पर नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार हुई थी। F.S.S.Rule.2011 के Rule 2.1.3 के तहत हुई थी। F.S.S.Rule.2011 के नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के परन्तुक के तहत F.S.O नियुक्ति की दिनांक को 5 वर्ष की अवधि के अन्दर खाद्य सुरक्षा अधिकारी (F.S.O) नियुक्ति के दिनांक को 5 वर्ष की अवधि के अन्दर विशेषकृत ट्रैनिंग करना अनिवार्य था। प्रस्तुत प्रकरण में श्री पदम सिंह परमार की नियुक्ति F.S.O के पद पर ने दिनांक 26.07.2011 को बताया है। पदम सिंह परमार को दिनांक 25.07.2016 तक अपनी विशेषकृत ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए थी किन्तु पदम सिंह परमार दिनांक 26.07.2011 से 25.07.2016 तक कोई विशेषकृत ट्रेनिंग की ऐसा कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.01.2024 को पदम सिंह परमार F.S.O नहीं था और दिनांक 22.01.2024 को पदम सिंह परमार द्वारा की गई सैंपल लेने की सम्पूर्ण प्रकिया NUL AND VOID हो जाती है। इस कारण भी प्रार्थी दोषमुक्त का हकदार है।

इस प्रकरण के अभिहित अधिकारी डॉ जयन्तीलाल मीणा ने जो अभियोजन स्वीकृति दी वह बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये हुए दी क्योंकि पत्रावली का अवलोकन करें तो पता चलता है कि उक्त नमूना घी जिस फर्म से मैसर्स अग्रवाल डेली नीडस सेंटर गायत्री मन्दिर के पास सैंपऊ रोड धौलपुर से लेना बताया है किन्तु इस प्रकरण के स्वीकृतिदाता अभिहित अधिकारी डॉ जयन्तीलाल मीणा द्वारा पृथक से फर्म मैसर्स अग्रवाल डेली नीडस सेंटर गायत्री मन्दिर के पास, सैंपऊ रोड धौलपुर के विरूद्ध कोई स्वीकृति जारी नहीं की। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति without application of mind है। इस कारण भी अभियोजन पक्ष द्वारा की गई कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है। अभियोजन पक्ष ने घी का नमूना कानूनी रूप से नहीं लिया इस कारण भी मानक में घट बढ हुई। घी का नमूना कानूनी रूप से घी को गर्म कर घी को क्लॉक वाइज एवं एंटी क्लॉक वाइज हिला मिलाकर एक रूप कर लेना चाहिए था। प्रस्तुत प्रकरण में घी को अभियोजन पक्ष ने Heated (गर्म) किया ऐसा तथ्य न तो फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित है

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

इरतागारा में अर्थात सम्पूर्ण पत्रावली में कहीं भी घी को गर्म कर नमूना लेना अंकित नहीं है क्योंकि नमूना माह जनवरी जो सर्दियों का समय होता है तब लिया था ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी के विरूद्ध धारा 26 (2)(ii)/51 F.S.S. Act 2006 Rule.2011 की कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है।

धारा 43 धारा 43 FSS Act.2006 Rule. 2011 के तहत **Public health Laboratory Bharatpur (RAJ)** की **Lab "ACCRETAT" Lab** नहीं है इस कारण प्रस्तुत प्रकरण की जांच रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है।

अतः प्रार्थना है कि जबाव अंतर्गत धारा 26(2)(ii) F.S.S. Act स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को दोषमुक्त घोषित किया जाकर कार्यवाही की जाने की कृपा की जावे।

हमने पैरोकार सरकार व अभिभाषक अभियुक्तगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./52/Act/2024/76 DATE 01-02-2024** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

"**Opinion**- The sample of **'Ghee'** bearing code & serial No. **D-3061** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Sub-Standard** as it does not conform to the Prescribed standards of food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Act, 2006.

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैडर्ड घी का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड घी बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी रामनिवास अग्रवाल पुत्र श्री रामभरोसी लाल,उम्र 49 जाति वैश्य विक्रेता व मालिक मैसर्सः अग्रवाल डेली नीड्स सेंटर गायत्री मंदिर के पास, सैपऊ रोड़, धौलपुर, निवासी ग्राम राजा का नगला सैंपऊ,धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 11000/-रुपये (ग्यारह हजार रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner